20.09.13	यह वाद ग्राम मसमोहना के खाता संख्या–37/14, के खेसरा संख्या–11, रकबा–1.41 एकड़, खेसरा संख्या–257, रकबा–2.51 एकड़, खेसरा संख्या–602, रकबा–1.32 एकड़, खेसरा संख्या–891, रकबा–0.66 एकड़, खेसरा संख्या–892, रकबा–1.10 एकड़, खेसरा संख्या–324, रकबा–0.26 एकड़, कुल 7.26 एकड़ की जमाबंदी हेमलाल बेदिया वगैरह के नाम से संबंधित है। खतियान में जमीन गैरमजरूआ खास, किस्म जंगल दर्ज है। हेमलाल बेदिया के नाम से कायम जमाबंदी किसी भी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा सत्यापित नहीं है और उनके नाम से 7.26 एकड़ की जमाबंदी चल रही है। जमाबंदी रैयत को अपना कागजात दिखाने के लिए नोटिस भी निर्गत किया गया था, लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए। बाद के आदेशफलक देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी 21.09.2012, 30.10.2013, 30.11.2012. 11.12.2012, 11.01.2013 को उपायुक्त न्यायालय में उपस्थित हुए, लेकिन उनके द्वारा अपने भूमि से संबंधित कोई कागजात नहीं प्रस्तुत की गई। अभिलेख में सिर्फ दो सरकारी रसीद लगी है, जिसमें से एक 1961–62 और दूसरा 1964–65 का है। अंचल अधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 284 दिनांक 17.02.2006 से प्राप्त सूची में खाता सं0–37, खेसरा संख्या–11, रकबा–69.00 एकड़ अधिसूचित वन क्षेत्र है। वन भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.12.1996 को रिट याचिका सिविल नं0–202/1995 एवं 171/1996 टी0एन0 गदावर्मन थीरूमुल्क पद बनाम भारत सरकार (1997) एस0सी0/78 (ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 1228) में दिये गये निर्णय महत्वपूर्ण है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्णित है कि "…………… the term" forest land "occurring in Section 2 will not only include 'forest' as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record irrespective of ownership ……………………" स्पष्टतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निदेशित है कि वन भूमि का उपयोग बिना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के दूसरे कार्यों में नहीं हो सकता है। जमाबंदी के संबंध में अंचल अधिकारी, पतरातू, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़, अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ और अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि कायम जमाबंदी अवैध और गलत है। पंजी–II के रैयत हेमलाल बेदिया वगैरह ने किसी प्रकार कोई दस्तावेज नहीं दिये, जिससे यह प्रमाणित हो कि उन्होंने जमीन किस प्रकार हासिल किया है। दो रसीद के अतिरिक्त प्रतिवादी ने किसी भी सक्षम राजस्व पदाधिकारी का आदेश भी नहीं प्रस्तुत किया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि पंजी–II में उनके नाम से सही रूप से जमाबंदी चल रहा है। जमाबंदी रद्द करने के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 10.02.2009 को L.P.A. वाद संख्या–425/2006 जगदेव महतो बनाम् आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल में यह नियमक दिया गया है कि अगर जमाबंदी बिल्कुल अवैध हो या	

किसी अभिलेख पर आधारित नहीं हो तो वैसी जमाबंदी रद्द की जा सकती है। न्यायालय का आंशिक निर्णय नीचे अंकित है :

"According to us if an order is found to have been passed by an authority having no jurisdiction or when such order is found to be absolutely illegal based on the apparent error on law or facts or when it is found to be perverse not based on record then certainly in such cases jamabandi running or standing in the name of a particular person can be cancelled by a competent authority but of course after giving proper notice and opportunity of haearing to the party who would be adversely affected."

स्पष्टतः निष्कार्ष निकलता है कि वाद संख्या–424/06–07 से संबंधित जमाबंदी अवैध है और रद्द करने योग्य है। इसे रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, रामगढ़।	उपायुक्त, रामगढ़।